Dublicate Cop	J
27-Feb-2024	

आदेश

तिथि Dec 30 2023

आदेश पर की गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा कोलाकुशमा थाना झरिया

खाता	प्लाँट	रकबा
478	3709	0 एकड़,4.23 डिसमील, 0हेक्टर
$\overline{}$		

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SRI ANKIT KUMAR	पिता	LATE RAJESH KUMAR GUPTA

है जिन्होनें निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 918 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
बाबा भोला प्रोमोटर्स प्रा. लो		
श्री राजेश कुमार गुप्ता प	पिता	स्व. राम प्रसाद राम

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल ख़ारिज स्वीकृत किया जाता है

अत: वार्षिक लगान 11रुपये

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

स्वीकृत

किया जाता है ।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है|

Digitally Signed by : GYANENDRA अंचलाधिकारी धनबाद